रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2001/श्रावण 23, 1923
No. 216] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2001/SRAVANA 23, 1923

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2001

सं. 310-5(17)/2001-टी आर ए आई (इकॉन).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत स्वयं को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए कि, भारत और भारत से बाहर, जिन टैरिफों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उन्हें, शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है।

दूरसंचार टैरिफ (16वाँ संशोधन) आदेश, 2001

(2001 का क्रमांक 6)

भाग-I

(क) लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :

(i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (16वाँ संशोधन) आदेश, 2001" कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश, अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

भाग-II

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची VI (इंटरनेट) में :

(i) विद्यमान मद (3) का शीर्षक मिटाकर, उसके स्थान पर यह पढ़ा जाएगा—"इंटरनेट लीज्ड सर्किटों पर प्रभार (अंशधारित या शेयर्ड पोर्ट प्रभार)"।

(ii) विद्यमान मद (4) का शीर्षक मिटाकर, उसके स्थान पर यह पढ़ा जाएगा—"स्व-उपयोगार्थ याने डेडीकेटेड पोर्टों और बिलिंग चक्र याने साइकिल सहित, इंटरनेट टैरिफ से संगत सभी अन्य मामलों के संबंध में—"।

भाग-III

इस आदेश में, अनुलग्नक "क" में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफों को स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है।

आदेशानुसार,

डॉ. हर्ष वर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार

अनुलग्नक—''क''

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. ''डेडीकेटेड पोर्टों'' के लिए पोर्ट प्रभारों के बारे में टैरिफ रिपोर्टों को देखते हुए, यह आवश्यक समझा गया कि दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी टी ओ) 1999 की अनुसूची VI को संशोधित और स्पष्ट किया जाए।

2. टी टी ओ, 1999 की अनुसची VI, इंटरनेट लीज्ड लाइन पोर्टों के प्रभारों को विनिर्दिष्ट करती है। इस अनुसूची की मद (3) में, ''इंटरनेट लीज्ड सर्किटों पर प्रभार (पोर्ट प्रभार)'' लिखा हुआ है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि ये टैरिफ केवल अंशधारित या शेयर्ड पोर्टों पर लागू होते हैं।

3. इसी प्रकार, इस अनुसूची की मद (4) में, ''इंटरनेट प्रभार से संबंधित अन्य सभी मामले, बिलिंग चक्र सहित'' लिखा है। इसमें ''डेडीकेटेड पोर्ट'' शब्द स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।

4. टी टी ओ, 1999 के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैराग्राफ 201 इस प्रकार है—''इंटरनेट लीज्ड सर्किटों पर प्रभार (पोर्ट प्रभार) के लिए, द्वितीय परामर्श पत्र में लागत आधारित टैरिफों का प्रस्ताव किया गया था। ऐसा निजी क्षेत्रक आई एस पी की क्षमता में सुधार करने और प्रतियोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।'' लेकिन इसमें यह उल्लेख नहीं था कि ये लागत आधारित टैरिफ, कंप्रेशन वाले इंटरनेट लीज्ड सर्किटों (पोर्ट प्रभार) पर लागू होंगे। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि प्रारंभिक 1999 के बाद से इस क्षेत्र में प्रतियोगिता काफी बढ़ी है। इसके अलावा, ऊपर बताए गए शेयर्ड पोर्टों पर लागू टैरिफ, इस अवधि में काफी कम हो चुके हैं। इन सब परिवर्तनों को देखते हुए, प्राधिकरण इस साल बाद में, अपनी आगामी टैरिफ समीक्षा में, इन टैरिफों पर और विचार-विमर्श करेगा। फिलहाल, इस संशोधन के द्वारा लाए गए परिवर्तन, पोर्ट प्रभारों पर लागू टैरिफ अनुसूची को स्पष्ट करने के लिए हैं।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2001

No. 310-5(17)/2001-TRAI(Econ.).—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTEENTH AMENDMENT) ORDER 2001 (6 OF 2001)

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement :

(i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Sixteenth Amendment) Order, 2001".

(ii) The Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Section II

2. In Schedule VI (Internet) of the Telecommunication Tariff Order, 1999 :

(i) The title of existing item (3) shall be deleted and substituted to read as : "Charge for Internet Leased Circuits (Shared Port Charges)".

(ii) The title of existing item (4) shall be deleted and substituted to read as : "All other matters relevant to Internet Tariff, including dedicated ports and billing cycle".

Section III

This Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

By Order,

Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy.-cum-Principal Advisor

ANNEX A

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. In view of the tariff reports regarding Port Charges for "Dedicated Ports" it was felt necessary to clarify and amend Schedule VI of the Telecommunication Tariff Order (TTO) 1999.

2. Schedule VI of the TTO, 1999 specifies charges for Internet Leased Line Ports. Item (3) of this Schedule which reads as Charge for Internet Leased Circuits (Port Charges) did not specify that these tariffs were applicable only to Shared Ports.

3. Similarly, item (4) of this Schedule which reads as All other matters relevant to Internet Tariff, including billing cycle did not explicity include the term "Dedicated Ports".

4. Paragraph 201 of the Explanatory Memorandum annexed to the TTO, 1999 read as "For Internet leased circuits (port charges), the Second Consultation Paper had proposed cost based tariffs. This was done with a view to improving the viability of the private sector ISP's and enhance competition" and did not specify that these Cost Based Tariffs were applicable to Internet leased circuits (port charges), with compression. The Authority has also noted that there has been a significant increase in competition in this segment since early 1999. Further, the applicable tariffs for shared ports that are specified above, has declined substantially over this period. Keeping in mind these developments, the Authority will give further consideration to these tariffs in its forthcoming tariff review later this year. At present, the changes introduced through this amendment is to provide clarifications to the tariff schedule applicable to port charges.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.